भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2605

जिसका उत्तर 22.12.2022 को दिया जाना है

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989

2605. श्री मलूक नागर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ईंधन खपत मानकों के अनिवार्य अनुपालन के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में आवश्यक संशोधन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत अधिसूचनाओं का.आ. 2670(अ), दिनांक 16.08.2017, का.आ. 2540(अ), दिनांक 16.07.2019, का.आ. 3215(अ), दिनांक 21.09.2020, का.आ. 1464(अ), दिनांक 29.03.2022 और का.आ. 1465 (अ), दिनांक 29.03.2022 के माध्यम से 3.5 टन से अधिक वजन के मोटर वाहनों के लिए ईंधन दक्षता मानदंड निर्धारित किए हैं। तदनुसार, इस मंत्रालय ने भारत में निर्मित या आयातित टिपर्स को छोड़कर, विभिन्न श्रेणियों के हल्के, मध्यम और भारी शुल्क वाले मोटर वाहनों के लिए ईंधन की खपत के मानदंडों का अनुपालन शामिल करने के लिए सा.का.नि. 844 (अ), दिनांक 22 नवंबर, 2022 द्वारा केंद्रीय मोटर यान नियमावली (सीएमवीआर), 1989 के नियम 115छ में संशोधन किया है। ईंधन खपत मानदंडों के निरंतर अनुपालन को एआईएस 149 में उल्लिखित उत्पादन की अनुरूपता की प्रक्रिया के अनुसार सत्यापित किया जाएगा। अधिसूचना का उद्देश्य अधिक ईंधन कुशल वाहनों को पेश करना है। यह 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा।

*****